



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श10)

(सं0 पटना 865) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

12 अगस्त 2020

सं० 791—बेगुसराय जिलान्तर्गत ग्राम—बाघा स्थित श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी पर्षद के अन्तर्गत एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। उक्त न्यास की सुव्यवस्था एवं संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक—1906, दिनांक—02.02.2012 द्वारा एक न्यास समिति का गठन श्री नित्यानंद प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था, परन्तु उस न्यास समिति द्वारा कोई आय—व्यय विवरण तैयार नहीं किया गया और 05 वर्ष के पश्चात् दिनांक 20.07.2017 को वर्ष 2012—13 से 2016—17 तक का आय—व्यय विवरण दाखिल किया गया है। न्यास समिति गठन किए जाने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.12.2017 द्वारा 11 नामों का प्रस्ताव भेजा गया, परन्तु पर्षद के आदेश दिनांक—06.12.2018 द्वारा यह पाया गया कि प्रस्तावित नामों में शम्भु महतो द्वारा फर्जी वसीयत अपने नाम बनाकर मठ की सम्पत्ति हड़पने का प्रयास किया गया था। अतः पूर्व में जमीन कस्तुरबा विद्यालय के नाम से लड़कियों के स्कूल खोलने के लिए दी गयी थी, परन्तु वहाँ पर कोई स्कूल कार्यरत नहीं है, अतः उक्त प्रस्तावित नामों को निरस्त करते हुए पुनः नये सिरे से नामों का मांग की गयी। जिस संबंध में ग्रामीणों द्वारा 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया तथा उपमहापौर द्वारा भी 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव भेजा गया। उक्त दोनों सूची में प्रस्तावित व्यक्तियों के चरित्र सत्यापन प्राप्त हो गया और दोनों सूची विचार करते हुए उक्त मन्दिर के सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो न्यास की उपविधि 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, बाघा, जिला—बेगुसराय के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण करता हूँ तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, बाघा, सुहृदयनगर जिला-बेगुसराय न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, बाघा, सुहृदय नगर जिला-बेगुसराय न्यास समिति” होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
3. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
4. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत्त एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
5. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
6. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
7. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
8. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
9. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
10. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे अपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास समिति के सभी सदस्य सहयोग के साथ उक्त ऐतिहासिक मन्दिर के विकास हेतु कार्य करेंगे।
12. न्यास समिति के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष या सचिव के साथ संयुक्त खाता खोलकर मन्दिर से होने वाली सभी आय को बैंक में जमा करेंगे।
13. न्यास के सभी दुकानदार किराया सचिव को देंगे और उसकी रसीद प्राप्त करेंगे, रसीद की कार्बन प्रति कोषाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर पर्षद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो दुकानदार किराया नहीं देते हैं, उसके विरुद्ध अबिलम्ब हटाये जाने की कार्यवाही थाना के सहयोग से करेंगे।
14. राजस्व अभिलेखों में श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी के नाम से इन्द्राज में कोई परिवर्तन पर्षद के पूर्व आदेश के नहीं किया जायेगा।
15. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
16. ठाकुरबाड़ी की भूमि का हस्तान्तरण नहीं करें, अगर करते हैं तो वह प्रारम्भ से अवैध व शुन्य होगा। उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	अनुमण्डल पदाधिकारी	— अध्यक्ष
(2)	थानाध्यक्ष, सदर	—उपाध्यक्ष
(3)	श्री सतेन्द्र शर्मा उर्फ पप्पू	—सचिव
(4)	प्रो० शिवनाथ सिंह	—कोषाध्यक्ष
(5)	श्री हरे राम महतो	—सदस्य
(6)	श्री अनील सिंह	—सदस्य
(7)	श्री राजीव रंजन, महापौर	—सदस्य

(8)	श्री सीताराम महतो	—सदस्य
(9)	श्री प्रमोद कुमार	—सदस्य
(10)	श्री राजेश कुमार	—सदस्य
(11)	श्रीमति रेखा देवी	—सदस्य

उपरोक्त सभी ग्राम—बाघा, पो0—सुहृदयनगर, जिला—बेगुसराय।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 865-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>